



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. मनीष
कुलसचिव (प्रभारी)

By Speed Post/By Email/By Hand

F.No.55-102/2021-22/A&A/993


दिनांक:23.01.2023

सेवा में,
अधिष्ठाता
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय: विशिष्ट व्याख्यान आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में।
संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 22.01.2023 को अनुमोदित।

अधिष्ठाता,
उपरोक्त वर्णित विषय पर दिनांक 22.01.2023 के आपके पत्र के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि संक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको "डीमिस्टीफाइंग इंडियाज़ जी20 प्रेसीडेंसी: प्रोमोटिंग इंडियाज़ राइज़" विषय पर 23 जनवरी 2023 को विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह व्याख्यान "इंडिया एंड द वर्ल्ड" के संस्थापक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनीष चंद द्वारा दिया जाएगा।

यह पत्र आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सादर,

कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. उप कुलसचिव (अकादमिक)
2. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
3. प्रशासनिक एवं प्राधिकारी अनुभाग
4. कुलपति सचिवालय



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076
Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

